

अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2/75CR Act

कृष्णा/कुमारी 16 महेंद्र सांगवा

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
जारी हुए

2022/50

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

442

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
जारी हुए

पेशी

श्री प्रतीत सिंह राव

श्री सहदेव चौधरी - 1 अनिल राव


18/5/23

कृष्णा कुमारी बनाम महेंद्र सांगवा (2022/350)

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोंड संख्या 1 एवं 3 उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने बताया की प्रकरण में पक्षकारों के मध्य आपसी समझाईश से सुलह हो चुकी है जिस कारण प्रार्थीगण उक्त अपील को आगे नहीं चलाकर जरिये नोटप्रेस निरस्त करवाना चाहते हैं अतः वर्तमान अपील को आज ही जरिये नोटप्रेस/विड्योल निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोंड संख्या 1, 3 ने उपस्थित होकर आदेशिका पर हस्ताक्षर किये एवं कथन किया कि अपील यदि नोट प्रेस में खारिज की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

अभिभाषक अपीलांट अपील को आगे नहीं चलाकर अपील को नोट प्रेस में खारिज करवाना चाहते हैं।

अतः अपील अपीलांट नोट प्रेस किये जाने से खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।


राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर